

रूप क्रमांक-६
(देखिये नियम ४)

वयस्क होने पर साझेदारी के हितों में सम्मिलित कर लिये गये व्यक्ति द्वारा चुनाव का सूचना पत्र
(फर्मों के रजिस्ट्रार को प्रकरण - पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत या प्रेषित)

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, १९३२ की धारा ६३(२) के अधीन यह सूचना दी जाती है कि फर्म
..... में साझेदारी के हितों
में सम्मिलित कर लिये गये
को अब वयस्क हो जाने पर उक्त फर्म का साझेदार होना चुन लिया / नहीं चुना है।

स्थान
दिनांक

चुनाव करने वाले व्यक्ति या उसके विशेष रूप से
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर